IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

शिक्षा का अधिकार– बालकों का एक मूलभूत अधिकार (वास्तविक स्थिति का एक अध्ययन)

शोधार्थी
अनमोल सिंह शेखावत
लोक प्रशासन विभाग
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

संक्षिप्तीकरण

शिक्षा का अधिकार, बालकों का ऐसा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्र के सभ्य नागरिकों के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभायेगा। अतः शिक्षा का अधिकार को हम मजबूत लोकतंत्र तथा सभ्य समाज का एक आधार स्तम्भ भी कह सकते हैं। ''सूचना का अधिकार से .... शिक्षा का अधिकार की ओर'' राष्ट्र के बढ़ते कदम ''सरकार की पारदर्शिता से ... सरकार की प्रतिबद्धता'' को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं की भावनाओं को आत्मसात करते हुये राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होने के मजबूत इरादों को बता रहा है।

शिक्षा का स्तर ही स्वतंत्र समाज की स्थिति को बयान करता है क्योंकि राष्ट्र की स्वतंत्रता का तात्पर्य समाज की स्वतंत्रता कदापि नहीं हो सकती। खासकर बात जब लोकतांत्रिक समाजों की सरकारों की हो जहां मतदाताओं का शिक्षित होना जरूरी ही नहीं अनिवार्य भी है।

हम अगर स्वतंत्रता के पश्चात के कालखण्डों का अवलोकन करें तो देख सकते हैं, कि देश की सरकारें आजादी के 60 साल बाद भी भारत और भारत की जनता को शिक्षित नहीं कर पायी। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने शिक्षा सुधार के लिये कुछ नहीं किया हैं। हम देख सकते हैं कि 1964 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने 1968 में देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एवं 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया, जिसे 1992 में संशोधित भी किया गया था। फिर भी राष्ट्र शिक्षा सुधार के अपने बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जो कि सोचनीय व चिन्तन का विषय है।

इसके पश्चात् सन् 2000–2001 में केन्द्र सरकार ने ''सर्व शिक्षा अभियान'' की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य 'शिक्षा का सार्वभौमिकरण' करना था। अतः एस.एस.ए. के तहत ग्रामीण भारत में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई तथा बालकों की उपस्थिति में वृद्धि हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा प्रतिबद्धता दिखाते हुये सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 21–ए के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बिना दिया, जिसमें यह उद्घोषणा की गयी कि राज्य 6 से 14 वर्ष के

बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इसके उपरान्त भी सरकारों ने आवश्यक कदम नहीं उठाये और शिक्षा को एक अर्थ विहीन स्थिति में ही रहने दिया गया।

इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की सफलता हेतु भविष्यलक्ष्यी दृष्टि रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया और कहां कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 साल के अन्तराल में ही बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देगा।

भारतीय राजनीति की विकलांगता कहे या भारतीय समाज की दुर्दशा की शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को भूला दिया गया या जरूरी नहीं समझा गया। देश के नीति निर्माता इसको कैसे नजर अन्दाज कर सकते हैं कि बालक ही भविष्य में देश का नागरिक बनेगा? या यूं कहे कि इन्हें सभ्य बनाने का दायित्व क्या सरकारों, समाजों पर नहीं है? लेकिन अब हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा, आजादी के 10 साल बाद 1960 में मिलने वाला अधिकार अपने छः दशक बाद ही सही सन् 2009 में बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देकर एक शिक्षित, सभ्य तथा विचारशील समाज की नींव सरकार और समाज द्वारा रखी गयी है।

इस प्रकार 'सबके लिए शिक्षा' हेतु ''निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' पारित हुआ, जिसे 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू कर दिया गया।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसमें 14 वर्ष के सभी बालकों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा शत–प्रतिशत बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैंः–

- 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।
- अनामांकित एवं शाला से बाहर बालकों के लिए विद्यालय में प्रवेश को सुनिश्चित करना।
- बालकों को कक्षा 8 तक अनुतीर्ण करने पर प्रतिबन्ध।
- बालकों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध।
- समस्त बालकों के लिए उनके नजदीक में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की बाध्यता।
- नियम मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक शाला में अधोसंरचना की व्यवस्था 3 वर्ष में, शिक्षक छात्र अनुपात अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 6 माह में सुनिश्चित करना।
- अच्छी गुणवता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्य जैसे जनगणना, चुनाव एवं आपदा प्रबंध आदि के अलावा अन्य जगह लगाना प्रतिबंधित।

- शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन मॉनिटरिंग का कार्य स्थानीय निकाय के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना।
- निजी स्कूल में भी कम्पिटिशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के न्यूनतम 25 प्रतिशत बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा गैर–अनुदानित शाला की वास्तविक फीस जो भी कम हो, के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वास्तविक स्थिति

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पारित हुये लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा इसने 'सबके लिए शिक्षा' को प्राप्त करने की कोशिश की है फिर भी वर्तमान स्थिति में प्राथमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया जाये तो हमें अधिनियम की कई कमजोरियाँ दिखायी देगी।

जनसत्ता में 10 अक्टुम्बर, 2015 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) का कहना है कि भारत में पिछले कुछ सालों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूलों के नाम दर्ज कराने के मामले में महत्वपूर्ण सुधार देखें गये है । शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 साल के बालकों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। हालांकि 14 साल के बालकों से ऊपर के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अभाव में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। इसे देखते हुए प्राथमिक स्तर के बाद की शिक्षा की सुलभता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

इसी सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 6 से 14 साल के बच्चों को आरटीई लागू होने के पांच साल गुजरने के बाद भी 60 लाख बच्चे अभी भी स्कूल के दायरे से बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 81.5 लाख थी जो 2014 के अंत में घटकर 60.6 लाख रह गई है, जिसमें लड़कियों की संख्या 28.9 और लड़कों की संख्या 31.6 लाख है।

शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 12 (1) (सी) में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों के 25 फीसदी सीट आरक्षित करने की बात कहीं गई है। इस बारे में एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013–14 में भारत में वंचित वर्ग के छात्रों–छात्राओं के लिए आरक्षित सीटों में से केवल 29 फीसदी ही भरी जा सकी है। इसी क्रम में एक अन्य गैर सरकारी संस्था 'प्रथम' की वार्षिक रिपोर्ट 'असर' को जारी करते हुए देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी यह बात स्वीकार की है कि देश में प्राथमिक शिक्षा तक लोगों की पहुँच को सुनिश्चित किया जा रहा है लेकिन अभी तक शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी है। अतः उपरोक्त रिपोर्टस और अवलोकनों से स्पष्ट है कि आरटीई अधिनियम अपनी प्रभावकारी भूमिका निभाने में सरकारों की प्रतिबद्धता और नागरिक समाजों की जवाबदेयता की कमी के कारण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है।

अधिनियम को प्रभावशाली क्रियान्वित करने हेतु उपाय

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पारित होने के बाद प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार देखा गया है जो कि देश के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्राप्ति का एक आधार स्तम्भ साबित होगा तथा लड़का–लड़की के प्रति समाज के नजरिये में परिवर्तन भी हो सकेगा। लेकिन इन घटकों को पूर्णतः प्राप्त करने में अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण यह अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है।

इसी कमजोर कड़ी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मुख्य रूप से कहां कि सभी स्कूलों में छात्र–छात्राओं हेतु अलग–अलग शौचालयों का निर्माण करना है ताकि देश की बेटियाँ पढ़–लिखकर सशक्त होकर राष्ट्र के निर्माण में सहभागी हो सके। प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के मुद्दे को देश के सामने सार्वजनिक रूप से रखकर मजबूत आत्मबल का परिचय दिया है..... अपने संबोधन में उन्होंने आगे बालकों को 'स्वच्छ भारत अभियान' का सबसे बड़ा 'ब्रांड एंबेसडर' बताया है, जो कि वर्तमान केन्द्र सरकार की प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति को इंगित करती है।

अतः शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु हमें निम्न उपायों और सुझावों पर विचार करना होगा, जो निम्नलिखित है–

- वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में प्री–प्राइमरी में बालकों के प्रवेश की सुविधा नहीं है, अतः शिक्षा अधिकार कानून में संशोधन किया जाये।
- निजी विद्यालयों में प्रवेश की लॉटरी अभिभावकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में निकाली जाए तथा इसमें प्रबंधन समिति की भूमिका सुनिश्चित हो।
- आरक्षित कोटे में 25 प्रतिशत के अनुपात में आधी सीटें बालिकाओं के लिए सुरक्षित रखी जाये।
- अधिनियम का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाये तथा जुर्माना वसूला जाये।
- सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
- सभी विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के शौचालयों की अलग–अलग व्यवस्था हो तथा शुद्ध पीने का पानी मिले।
- सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि शिक्षक अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सके।
- सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने हेतु उपाय किये जाये तथा राज्य सरकारों को शिक्षकों के स्थानान्तरण की उपयुक्त नीति विकसित करनी होगी ताकि बालकों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े।
- बालकों को शिक्षित करने हेतु सम्पूर्ण देश में पाठ्यक्रम एक समान रखा जाये और बच्चों पर से बस्तों के बोझ को कम किया जाये।

- बाल शिक्षा अधिकार से संबंधित एक केन्द्रीय प्राधिकरण निर्मित किया जाये जो अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करे और नियंत्रणकारी भूमिका निभाये तथा शिक्षा में सुधार से संबंधित विषय पर सरकार को परामर्श भी दे सकें।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा 'सभी के लिए शिक्षा' को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया जिसे पूर्णतः प्राप्त करना अभी दूर की कोड़ी ही साबित हो रहा है। वर्तमान सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने में प्राथमिकता दिखा रही है जिसके अन्तर्गत भारत के दूर–दराज के गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। लेकिन डिजिटल इंडिया के आधार को मजबूत करने का कार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही करेगा, जिसे हम नजरअन्दाज कर देते हैं। सरकार को डिजिटल इंडिया एवं शिक्षा का अधिकार को समानान्तर लेकर चलना होगा और इसकी सफलता हेतु शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत पड़ेगी।

अतः अधिनियम की प्रभावशीलता में कमी को देखते हुये शिक्षा के रणनीतिकारों को अपनी दृष्टि में स्पष्टता लानी होगी तथा शिक्षा से संबंधित विविध कार्यक्रमों को आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत एकीकृत व समन्वित रूप देना होगा जिससे कि राष्ट्र शिक्षा के बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त कर सके और उन्नत एवं सम्पन्न समाज का निर्माण किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी : मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन; गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन, 1949
2. सोशल वैलफेयर इन इण्डिया : प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1955
3. राइट टू एजुकेशन बिल, 2009 : भारत सरकार, 2009
4. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग : भारत सरकार, 1964–66
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 : भारत सरकार, 1986
6. योजना : मार्च, 2011
7. कुरूक्षेत्र : सितम्बर, 2011
8. अग्रवाल, डॉ. मीता : राइट टु एजुशन : इन इण्डिया प्रस्पेक्टिव, 2012
9. यादव, आर.पी. : राइट टु एजुकेशन, 2014